उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

संख्या-4/2015/263/अडतीस-7-2015-148रिट/2014

लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या- एल-11011/21/2012-आरई-VII दिनांक: 16-01-2014 में प्रदत्त व्यवस्थान्तर्गत मनरेगा योजनान्तर्गत लोकपाल द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों की सुनवाई हेतु एतदद्वारा त्रिस्तरीय अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. चेयरपर्सन
2. सदस्य
3. सदस्य

2- ट्रिब्यूनल द्वारा लोकपाल द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों की सुनवाई की जायेगी। उक्त गठित ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन/सदस्यों की नियुक्ति /नामांकन एवं सेवा शर्तों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(गोविन्द राजू एन0एस0)
विशेष सचिव।

संख्या-4/2015/263(1)/अडतीस-7-2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त लोकपाल, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in